ISBN: 978-93-93166-00-5

महिला मानवाधिकारों के विकास में संयुक्त राष्ट्र संघः प्रावधान एवं प्रयास

राजेश गुप्ता
सहायक आचार्य
राजनीति विज्ञान
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय
अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश

विश्व पटल पर आज राजनीतिक उपनिवेशवाद का पटाक्षेप हो रहा है और उसके स्थान पर आर्थिक उपनिवेशवाद अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। तब प्रश्न उठता है कि महिलाओं को अधिकार कैसे और कब दिये जायें तथा कितनी हद तक दिये जाएं? इस पर भी मतैक्य की स्थिति नहीं की है। पित्रसत्तात्मक समाज की अवधारणा ने मानव जीवन को दो ध्रुवों में बाँट कर स्त्री व पुरुष को परस्पर पूरक होने का अवसर न देकर स्त्री को पुरुष का अनुगामी घोषित किया। मानव सभ्यता के विकास, साम्यवाद एवं समाजवाद की अवधारणा की व्यापक स्वीकृति, शिक्षा एवं विज्ञान के प्रचार-प्रसार के द्वारा 20वीं शताब्दी मे महिलाओं की समानता तथा भूमिका के मुद्दे पर जागृति के स्वर लगभग प्रत्येक देश में उठे हैं।

धर्म, राजनीति व सत्ता सभी महत्त्वपूर्ण बुनियादी पक्षों को इस सदी में यह स्वीकारना पड़ा है कि महिला का स्थान पुरुष के समान है और कोई भी ऐसा अधिकार, कानून या विधान नहीं हो सकता जो लिंग-भेद के आधार पर स्त्रियों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक करार दे सके। महिलाओं के मानव

ISBN: 978-93-93166-00-5

अधिकार अभिन्न और अविभाज्य है क्योंकि महिलाएँ, महिलाएँ होने के नाते और मानव होने के नाते, विशिष्ट रूप में और समान तौर से संसार की विभिन्न जनसंख्या का अंग होने के नाते हर क्षेत्र के मानवाधिकार के मुद्दों से प्रभावित होती हैं। इनको मानव अधिकार के मुद्दों से पृथक्, विभाजित या अलग नहीं किया जा सकता।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के समय से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला मुक्ति एवं महिला सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयासों को अधिक मजबूती प्रदान की है। महिलाओं द्वारा मौलिक स्वतंत्रता की पूर्णता संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकता है।2 संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार घोषणा पत्र में अधिकार संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्यों को स्पष्ट कर स्त्री- पुरुष दोनों को एक पूर्ण इकाई मानकर अग्रिम विकास का श्रीगणेश किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला मानवाधिकारों को विकसित करने एवं स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ, समय-समय पर जारी किये गये अभिसमयों व घोषणाओं के अतिरिक्त धरातलीय स्तर पर विकसित किये गये संस्थानात्मक तन्त्रों के माध्यम से भी प्रयासरत है।

वैश्विक स्तर पर महिला अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधान

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के समय से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला मुक्ति एवं महिला सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयासों को अधिक मजबूती प्रदान की है। महिलाओं द्वारा मौलिक स्वतंत्रता की पूर्णता संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार घोषणा पत्र में अधिकार संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्यों को स्पष्ट कर स्त्री- पुरुष दोनों को एक पूर्ण इकाई मानकर अग्रिम विकास का श्रीगणेश किया।3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला मानवाधिकारों को विकसित करने एवं स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ, समय-समय पर जारी किये गये अभिसमयों व घोषणाओं के

ISBN: 978-93-93166-00-5

अतिरिक्त धरातलीय स्तर पर विकसित किये गये संस्थानात्मक तन्त्रों के माध्यम से भी प्रयासरत है-

अभिसमय तथा घोषणाएँ

महिलाओं के अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं संधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने समाज में पुरुष व महिलाओं के बीच में समानता के विकास में सहायता की है। समझौते या अंतर्राष्ट्रीय सधियाँ या अभिसमय, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए हैं, उन्हें उन राष्ट्रों द्वारा पालन करना अनिवार्य है, जिन्होंने इन संधियों या समझौतों को अपनी मान्यता प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समय-समय पर किए गए अभिसमय व घोषणाएँ इस प्रकार है

महिला हैसियत आयोग 1946-

यह सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1945 से प्रारम्भ मानवधिकार एवं महिला आन्दोलनों ने लिंग-भेदभाव एवं असमानता के प्रश्नों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक मुद्दों के रूप में प्रस्थापित किया। इस प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा से पूर्व 1946 में महिला प्रस्थिति के अध्ययन के लिए गठित समिति की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिसको "कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वूमेन" का नाम दिया गया। आयोग ने समस्त विश्व में महिलाओं की स्थिति के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए तथा सार्वभौम मानव अधिकार उद्घोषणा का मसौदा तैयार करने में मदद की। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की, जिसे विश्व के अधिकांश देशों द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। इस घोषणा में सभी प्रकार के लैंगिक भेदभाव समाप्त करने का आह्वान किया गया। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि "हम संयुक्त राष्ट्र के लोग मूलभूत मानवाधिकारों में मानव की गरिमा और महत्व व मूल्य में तथा स्त्री पुरुष के समान अधिकारों में आस्था व्यक्त करते हैं।

ISBN: 978-93-93166-00-5

महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमय (1952)

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसम्बर, 1952 को श्महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमयश् हस्ताक्षर एवं पुष्टिकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। यह अभिसमय 7 जुलाई, 1954 को क्रियान्वित हुआ। इस अभिसमय के माध्यम से सदस्य राष्ट्रों द्वारा महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के पुरुषों के समान चुनाव में वोट देने, राष्ट्रीय कानून द्वारा स्थापित सरकारी संरचनाओं का चुनाव लड़ने तथा राष्ट्रीय कानून द्वारा स्थापित सरकारी दफ्तरों एवं सरकारी कार्यों में भागीदारी का अधिकार दिया गया। विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता से संबंधित अभिसमय(1957)-संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा न्यूयार्क में 26 जनवरी, 1957 में "विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता से संबंधित अभिसमय" हस्ताक्षर एवं पुष्टिकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। यह अभिसमय 11 अगस्त, 1958 से क्रियान्वित हुआ तथा भारत ने 15 मई, 1957 को इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत विवाह के पश्चात् भी पत्नी को अपनी नागरिकता बनाए रखने का अधिकार दिया गया है।

विवाह की सहमति, विवाह की न्यूनतम आयु एवं विवाह के पंजीकरण पर अभिसमय (1962)

महिलाओं के प्रति बाल विवाह जैसी कुरीतियों का निराकरण करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 नवम्बर, 1962 को विवाह की सहमति, विवाह की न्यूनतम आयु एवं विवाह के पंजीकरण से संबंधित अभिसमय हस्ताक्षर एवं पुष्टिकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। इस अभिसमय का क्रियान्वयन 9 दिसम्बर, 1964 को हुआ। यह समझौता राज्य पक्षकारों को विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने का आह्वान करता है।

ISBN: 978-93-93166-00-5

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा (1966) - 16 दिसम्बर, 1966 की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा द्वारा महिलाओं के पक्ष में रोजगार, समान कार्य के लिए समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की घोषणा (1966) -

16 दिसम्बर, 1966 की नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की घोषणा के अंतर्गत भी महिलाओं के लिए जीवन का प्राकृतिक अधिकार, यातना के अमानवीय व्यवहार से संरक्षण व निजत्व के संरक्षण अधिकार को प्रदत्त किया जाना विधिक व्यवस्था का एक अंग घोषित किया गया।

महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति की घोषणा (1967) - मूलभूत मानव अधिकारों, मानवीय गरिमा, मनुष्य के गुणों एवं स्त्री पुरुष के समान अधिकारों में विश्वास अभिव्यक्त करते हुए 7 दिसम्बर, 1967 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति की घोषणा की गई।

युद्ध एवं सैन्य आपदा के समय महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित उद्घोषणा, 1974

संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 14 दिसम्बर, 1974 को युद्ध एवं सैन्य आपदा के समय महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित उद्घोषणा की गई । जिसमें कहा गया कि “आपातकाल एवं सशक्त संघर्ष के दौरान महिलाओं व बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी।

महिलाओं की स्थिति से सम्बद्ध आयोग ने 1974 की अपनी रिपोर्ट में महिलाओं के साथ भेदभाव का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि “लिंग के आधार पर विशिष्टता प्रदान करना, वंचित करना या प्रतिबंध लगाना जिसकी

ISBN: 978-93-93166-00-5

परिणति या प्रभाव मानव अधिकारों को नकारने या उनका उपभोग करने से रोकने में हो तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में मूलभूत स्वतंत्रताओं के हनन के रूप में हो"।

महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने संबंधी अभिसमय (1979)-

महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने के उद्देश्य से 18 दिसम्बर, 1979 को इस आशय का अभिसमय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह 03 सितम्बर, 1981 से क्रियान्वित हुआ।

महिला मानवाधिकारों के संदर्भ में किए गए विश्व सम्मेलन -

विश्व महिला सम्मेलन -

सम्पूर्ण विश्व में महिला उत्थान व विकास के प्रति चेतना जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 18 दिसम्बर 1972 की बैठक में वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया।

इसके तीन उद्देश्य स्पष्ट किये गए -

1. विश्व शांति स्थापना की दिशा में महिला सहयोग प्राप्त करना।
2. पुरुष और महिलाओं को समानता का दर्जा देना।
3. विकास कार्यों में स्त्रियों का योगदान।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के समुचित विकास पर संयुक्त राष्ट्र ने विश्व महिला सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय किया जिससे कि महिलायें स्वयं के विकास के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कर सकें तथा नीति निर्धारण में उनके विचारों को प्रमुखता दी जा सके। इस परम्परा में अभी तक निम्न विश्व महिला सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं।

ISBN: 978-93-93166-00-5

1. प्रथम विश्व महिला सम्मेलन 1975 मैक्सिको
2. दूसरा विश्व महिला सम्मेलन 1980 कोपेनहेगन
3. तीसरा विश्व महिला सम्मेलन 1985 नैरोबी
4. चैथा विश्व महिला सम्मेलन 1995 बीजिंग (पेइचिंग)

मैक्सिको सम्मेलन वर्ष - महिला कल्याण हेतु प्रथम प्रयास के रूप में 19 जून से 2 जुलाई 1975 तक मैक्सिको में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र ने आयोजित किया। इस सम्मेलन में संघ के 133 सदस्य राज्यों से प्रतिनिधि मंडलों ने हिस्सा लिया तथा 6000 गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि भी एकत्रित हुए। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला कल्याण हेतु 1975 से 1984 तक के दशक को महिला दशक घोषित किया गया। इसके तहत दो एजेन्सी बनाने का निर्णय लिया गया-

1. **अन्तर्राष्ट्रीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान** - महिलाओं के उत्थान हेतु 1975 में महासभा द्वारा इसकी सिफारिश की। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं से संबंधित समस्याओं का शोध करना था।
2. **संयुक्त राष्ट्रीय विकास फंड** - इसकी स्थापना 1976 में महासभा द्वारा की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को विकास कार्यक्रम में भागीदारी बनाना था।

सम्मेलन की समाप्ति पर विश्व कार्य योजना बनाई गई जिसे मैक्सिको उद्घोषणा के नाम से जाना जाता है, जिसमें निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया -

1. स्त्री शिक्षा पर बल
2. लिंग भेदभाव मिटाना
3. महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाना
4. नीति निर्धारण में महिलाओं को शामिल करना एवं समान राजनीतिक,

ISBN: 978-93-93166-00-5

आर्थिक, सामाजिक, नागरिक अधिकार देने की घोषणा करना शामिल है।

2. **कोपेनहेगन सम्मेलन वर्ष 1980 -**

द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन कोपेनहेगन में 14 जुलाई से 31 जुलाई 1980 तक आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में निम्न लक्ष्य रखे गये -

1. राजनीति व निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं को कानूनन भागीदारी।
2. महिलाओं के लिये ऐसे कार्यालय कक्ष या आयोग बनाना जो महिलाओं से संबंधित है।
3. सरकारी और गैर सरकारी संगठन में सहयोग स्थापित करना।
4. सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये सभी को मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना।
5. शिक्षा और प्रशिक्षण में सभी की समानता का दर्जा देना।
6. रोजगार के संदर्भ में समानता।

3. **नैरोबी सम्मेलन** -

] नैरोबी में 1985 में 15 से 26 जुलाई के बीच तीसरा विश्व महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में महिला विकास के लिये प्रगतिशील रणनीति तैयार की गई तथा मैक्सिको कार्य योजना में सुधार किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समानता स्थापित करना प्रमुख रणनीति के रूप में शामिल किया गया। तथा प्रत्येक देश को अपनी विकासात्मक नीतियों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं तय करने का अधिकार दिया गया।

4. **बीजिंग सम्मेलन** -

बीजिंग में 1995 में 4 से 15 सितम्बर तक चैथा विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों ने भी भाग लिया। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के

ISBN: 978-93-93166-00-5

185 सदस्य देशों ने भाग लिया। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित निर्धारित किये गये -

1. महिलाओं को समर्थ बनाने के लिये योजनाएँ बनाना।
2. प्रतिनिधि मण्डलों की प्रगतिशील उपलब्धियों का पुनरावलोकन करना।
3. ऐसी कार्य योजना की रूपरेखा बनाना जिससे प्रगतिशील नीतियों का क्रियान्वयन किया जा सके।
4. 21वीं शताब्दी की वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी आवश्यकताओं का सामना करने के लिये साधन उपलब्ध कराना।

विश्व मानवाधिकार सम्मेलन 1993

यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति पर घोषणा पत्र है। 1993 में वियना में हुए विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में उन सभी मानवाधिकारों की पुनर्पुष्टि की,जो 1948 के घोषणा पत्र में शामिल है। इसके अन्तर्गत कहा गया कि महिलाओं और बच्चों के मानव अधिकार सार्वभौमिक मानव अधिकारों का एक अभिन्न, आंतरिक और अविभाज्य अंग है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी और स्त्री-पुरुष के आधार पर हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्राथमिक उद्देश्य हैं।

1994 में काहिरा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन में महिलाओं के संतानोत्पत्ति अधिकार और विकास के अधिकार की पुनर्पुष्टि की गई। महिला मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु विश्व में 1990 से 2000 तक का दशक महिला दशक के रूप में मनाया गया।

ISBN: 978-93-93166-00-5

संस्थानात्मक तंत्र

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विभिन्न संस्थानात्मक तंत्र विकसित किए गए जिसके परिणामस्वरूप महिला अधिकारिता एवं महिला विकास के लिए विभिन्न अभिकरणों की स्थापना की गई जो अपने क्षेत्र में इस आशय के कार्य कर रहे हैं।

यूनिसेफ

1946 में युद्धोपरांत बच्चों को राहत देने के लिए स्थापित की गई संस्था यूनिसेफ विकासशील देशों में बच्चों एवं माताओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सहायता पहुँचाती है। यह संस्था युद्ध, हिंसा और शोषण की शिकार स्त्रियों एवं बच्चों की पीड़ा घटाने के लिए शिक्षा, सलाह - मशविरा और देखभाल उपलब्ध कराने वाली विशेष परियोजनाओं को समर्थन देती है।

यूनाइटेड नेशंस एजेंसी ऑफ पॉपुलेशन फण्ड

यह संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो जनसंख्या संबंधी ऑपरेशनल गतिविधियों का नेतृत्व करता है। यह अपने बुनियादी कार्यक्रम में स्त्रियों के प्रजनन स्वास्थ्य जिसमें परिवार नियोजन, यौन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व शामिल है, को प्राप्त करने में मदद करता है । यून.एन. ए. पी. एफ. जनसंख्या एवं विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (काहिरा 1994) में पुष्ट एवं 1999 में वृहत्सभा के विशेष सत्र द्वारा समीक्षित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख संगठन है।

महिलाओं की प्रस्थिति संबंधी आयोग

1946 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् द्वारा महिलाओं की प्रस्थिति पर एक आयोग की स्थापना की गई। यह आयोग विश्व में पुरुष एवं महिलाओं के बीच समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से

ISBN: 978-93-93166-00-5

स्थापित किया गया है। यह आयोग महिलाओं की समस्याओं को संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों के सामने लाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव उन्मूलन समिति

महिलाओं के विरूद्ध होने वाले भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से 1982 में एक समिति की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य 1979 में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करने के लिए किए गए समझौते की शर्तों को लागू करवाना है।

महिलाओं के निमित्त संयुक्त राष्ट्र विकास निधि

यह एक स्वैच्छिक निधि है जो महिलाओं के मानवाधिकारों उनके आर्थिक तथा राजनीतिक सबलीकरण और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाले नये ढंग के कार्यक्रमों को समर्थन एवं तकनीकी सहायता देती है । 1976 में यूनिफेम की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा महिलाओं के विकास कोष के लिए की गई, ताकि महिलाओं के विकास के लिए बनी योजनाओं को सीधे तौर पर सहायता प्रदान की जा सके। 1985 में इस कोष को यू.एन.डी. पी. (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) के साथ संयुक्त कर इसका नाम यूनिफेम कर दिया गया, जिसे स्वायत्तता प्रदान कर दी गई।

स्त्रियों की प्रगति के निमित्त अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान - इसकी स्थापना महासभा द्वारा 1976 में प्रथम महिला सम्मेलन की सिफारिश पर की गई। यह एक संयुक्त राष्ट्र के तहत स्वायत्त निकाय है, जिसका मुख्य कार्य पूरे विश्व में रिसर्च, प्रशिक्षण तथा सूचना संबंधी गतिविधियाँ करना है जिससे महिलाओं को विकास का प्रमुख अभिकर्ता बनाया जा सके।

महिलाओं का विकास विभाग -

महिलाओं का विकास विभाग महिलाओं के ऊपर हो रहे सम्मेलनों के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह विभाग नीतियों पर शोध करता

ISBN: 978-93-93166-00-5

है। यह देखता है कि सम्मेलन में महिलाओं के ऊपर लिए गए निर्णय ठीक तरह से कार्यान्वित हो रहे हैं अथवा नहीं। यह आयोग उन गैर-सरकारी संगठन, राष्ट्रीय संस्थाएँ तथा अकादमियों से सदैव सम्पर्क बनाए रखता है जो महिलाओं के उद्धार तथा विकास के लिए प्रयासरत् हैं।

मानवाधिकार परिषद् -

15 मार्च, 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद् के गठन का प्रस्ताव पारित किया। इस 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद् ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। उल्लेखनीय है कि नई परिषद् स्थायी है तथा प्रत्यक्ष रूप से महासभा के अधीनस्थ है। यह कहीं भी एवं किसी भी देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन का गहन विश्लेषण कर सकेगी। इसका कार्य सार्वभौमिकरण, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता एवं सृजनात्मक अंतर्राष्ट्रीय संवाद के सिद्धांतों (सिद्धान्त) के अंतर्गत (अन्तर्गत) निर्देशित होगा इसे समय पर सभी एजेंसियों एवं निकायों को अपैनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ताकि मानवाधिकार उल्लंघन की व्यवस्थापरक ढंग से रोका जा सके।

यू.एन. वीमेन’

वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ‘यू.एन. वीमेन’ का गठन किया गया था। यह संस्था महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्य करती है। शांति और सुरक्षा के मामले में अपने काम के तहत यूएन वुमैन शांति रक्षकों को संघर्ष से जुड़ी यौन हिंसा का पता लगाने और उसे रोकने का प्रशिक्षण देता है। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र तंत्र के 4 अलग-अलग प्रभागों के कार्यों को संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है -

महिलाओं की उन्नति के लिये प्रभाग (क्पअपेपवद वित जीम ।कअंदबमउमदज व िंवउमद -क्।ॅ)महिलाओं की उन्नति के लिये

ISBN: 978-93-93166-00-5

अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (प्दजमतदंजपवदंस त्मेमंतबी ंदक ज्तंपदपदह प्देजपजनजम वित जीम ।कअंदबमउमदज व िॅवउमद -प्छैज्त्।ॅ)लैंगिक मुद्दों और महिलाओं की उन्नति पर विशेष सलाहकार कार्यालय (व्ीिपबम व िजीम ैचमबपंस ।कअपेमत वद ळमदकमत प्ेनमे ंदक ।कअंदबमउमदज व िॅवउमद-व्ै।ळप्) महिलाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कोष (न्दपजमक छंजपवदे क्मअमसवचउमदज थ्नदक वित ॅवउमद-न्छप्थ्म्ड) 'यू.एन. वीमेन' (न्छ ॅवउमद) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु आपातकाल, संघर्ष और बहिष्कार की राजनीति के बढ़ते चलन ने भविष्य में लैंगिक समानता की प्रगति को खतरे में डाल दिया है।

प्दजमतदंजपवदंस ॅवउमदश्े क्ंल- 1908 में न्यूयार्क में कपड़ा श्रमिकों ने हड़ताल कर दी थी। उनके समर्थन में महिलाएं खुलकर सामने आईं थीं। उन्हीं के सम्मान में 28 फरवरी 1909 के दिन अमेरिका में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के आग्रह पर महिला दिवस मनाया गया था। 1910 में महिलाओं के ऑफिस की नेता कालरा जेटकीन ने जर्मनी में इंटरनेशनल वूमंस डे मनाए जाने की मांग उठाई थी। इस महिला का सुझाव था कि दुनिया के हर देश को एक दिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मनाना चाहिये। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को सबसे पहली बार वर्ष 1911 में आधिकारिक रूप से पहचान मिली थी। इसके बाद वर्ष 1975 में न्दपजमक छंजपवदे यूनाइटेड नेशन्स (संयुक्त राष्ट्र) ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाना शुरू किया। तभी से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस - (प्दजमतदंजपवदंस ॅवउमद'े टपवसमदबम म्तंकपबंजपवद क्ंल) 25 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पूरे विश्व मे महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के

ISBN: 978-93-93166-00-5

लिए मनाया जाता है। यह अभियान महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट होने के अभियान का एक हिस्सा है।

उपर्युक्त उपबंधों और अधिनियमों के बावजूद महिला मानवाधिकारों का हनन निरंतर जारी है जो कि भारतीय राष्ट्र एवं समाज के समक्ष प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। इसका कारण हमारे पुरुष प्रधान समाज की संरचना है, जिसने समस्त जनमानस को कुप्रभावित कर रखा है। स्वयं स्त्रियाँ भी अपनी पिछड़ी संस्कार जनित मानसिकता से उबर नहीं पायी हैं। पूँजीवाद से सत्तावाद तथा सत्तावाद, सम्पत्ति विलासितावाद, भोगवाद की ओर बढ़ रहा है। वहाँ नैतिक आदर्शात्मक मूल्यों का इस वर्तमान समाज में कोई स्थान नहीं है। इस अर्थयुगीन समाज में नारी अस्तित्व की एक विडम्बना है। आतंकित होने के लिये स्त्री एक कमजोर प्राणी का नाम है। महिलाओं के अधिकारों के हनन के विभिन्न तरीके है जिसमें महिलाओं के साथ-साथ मासूम और अबोध बालिकाएँ भी सदियों से पुरुषों द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकार है।

एक मानव होने के नाते महिला के भी वही अधिकार हैं, जो कि पुरुष के, यदि इस अवधारणा को विश्व स्तर पर पूर्ण रूप से स्वीकृति प्राप्त हो जाए तो आज महिला सशक्तिकरण के जो प्रयास विश्व स्तर पर चल रहे हैं उनसे संबंधित समस्याओं का स्वतः हो समाधान हो जाएगा। किंतु जहाँ मानव अधिकारों की अपरिहार्यता पर दीर्घकालिक संघर्ष के बावजूद आम सहमति संभव हो सकी है, वहीं अधिकारों की आवश्यकता, प्रकृति और उनकी सही रूप में क्रियान्विति के विविध पक्षों पर आज भी विवाद बना हुआ है। तथापि आज वर्तमान समय में विश्व में महिलाओं के समुचित विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है। इसी आधार पर 21वीं शताब्दी को महिलाओं की शताब्दी के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। चाहे विकसित देश हो या विकासशील महिलाएं पुरुषों के साध कदम मिलाकर

ISBN: 978-93-93166-00-5

अपनी अन्तर्निहित क्षमता व आत्मविश्वास और साहस के साथ पुरुष प्रधान समाज में अपने अस्तित्व हेतु सफल प्रयास कर रही है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार करने के लिए विश्व में सभी जगह प्रयास किये जा रहे हैं।

वस्तुतः महिला अधिकारों का प्रश्न जितना कानूनी एवं राजनीतिक है उतना ही सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परम्पराओं तथा आर्थिक संरचनाओं द्वारा निर्धारित एवं प्रभावित है। महिलाओं की अपनी स्वयं की मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन अपेक्षित है। यह परिवर्तन शिक्षा एवं आर्थिक स्वायत्तता, चेतना एवं संगठनात्मक प्रयासों द्वारा सम्भव है। महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य विकास का उतरोत्तर सोपान है। आधुनिक युग में शिक्षा व्यक्तित्व को विकसित करने का एक माध्यम है, अधिकार उसकी परिस्थितियाँ हैं, सशक्तिकरण उसका रास्ता है एवं समाज विकास में नारी की पुनः स्थापना उसकी मंजिल है।समाज के सदस्यों को अपनी मानसिकता में परिवर्तन करना होगा कि स्त्री-पुरुष दोनों की समाज के अत्यावश्यक अंग हैं, अतः अपनी संकीर्ण विचारधारा में बदलाव करना होगा। महिलाओं को जागरूक तथा आत्मविश्वासी होना होगा तभी महिला मानवाधिकार सार्थक होंगे अन्यथा इनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। यदि उपर्युक्त प्रावधानों के साथ-साथ इन सुझाओं पर भी गौर किया जाए तो महिलाओं के मानवाधिकारों का सही रूप में संरक्षण हो सकता है तथा महिलाएं समाज का अभिन्न अंग बनकर सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना विशिष्ट योगदान दे सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. *अग्रवाल, एच. ओ., अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार, सेन्ट्रल एजेन्सी पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2000 पृ. 657,658.*

ISBN: 978-93-93166-00-5

2. *कपूर, ए.सी., राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त, एस. चांद कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड नई दिल्ली, 1987, पृ. 210.*
3. *स्वरूप, जगदीश, ह्यूमन राइट्स एण्ड फन्डामेन्टल फ्रीडम्स, एस. चांद कम्पनी (प्रा)लिमिटेड नई दिल्ली, 1975, पृ. 12.*
4. *राजकिशोर (सम्पादित), मानवाधिकारों का संघर्ष, वाणी प्रकाशन पृ. 37 व 38.*
5. *मनि, बी. एस., रीजनल एप्रोच टू दी इम्प्लीमेन्टेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इण्डियन जनरल ऑफ इण्टरनेशनल लॉ, वाल्यूम 27, 1981, पृ. 96.*
6. *डॉ. उपाध्याय जयराम, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद 2007 पृ. 2.*
7. *डॉ. त्रिपाठी, टी.पी., मानव अधिकार' इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स, 2009.*
8. *सिन्हा, पी. सी., एक्सलोबल सोर्सबुक आन ह्यूमन राइट्स, कनिष्का पब्लिशर्स, नई दिल्ली 2001, पृ. 77.*
9. *शर्मा, शिवदत्त, मानवाधिकार, विधि साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006, पृ० 2.*